न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 70/2018

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 श्रीमती मन्जू देवी उम्र 45 वर्ष पत्नी किशनलाल जाति सैनी निवासी वार्ड नम्बर 33 मण्डावा रोड़ पिंजरापोल के सामने फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती दुर्गा देवी उम्र 67 वर्ष पत्नी श्योप्रसाद जाति सैनी निवासी वार्ड नम्बर 29 मण्डावा रोड़ पुलिया के पास फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

2 पटवारी हल्का फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

3 तहसीलदार फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीए 1955 विरूद्व निर्णय दिनांक 29.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर पीठासीन अधिकारी रेणू मीना आर.ए.एस. मुकदमा नम्बर 723/2016 बउनवानी श्रीमती दुर्गा देवी बनाम श्रीमती मन्जू देवी आदि आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए रा. का. अधिनियम

उपस्थित

1. श्री प्रभातीलाल अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 15.03.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 723/2016 में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा संख्या 1194/1 रकबा 0.4164 हैक्टेयर वाकै कस्बा फतेहपुर जिला सीकर के सम्बन्ध में खसरा नम्बर 1194/2 रकबा 1.42 हैक्टेयर में से पश्चिमी सींव के सहारे सहारे आवागमन का पशु ऊंट लढ़ा ट्रेक्टर ट्राली आदि व लावणी के लिए खेत में आने जाने का बताकर 15 फिट चौड़ा नवीन रास्ता का आनुतोष चाहा। उक्त आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को तलब किया गया जिस पर अपीलार्थीया ने रेस्पोडेंट संख्या 1 के आवेदन के खण्डन में जवाब प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने प्रस्तुत प्रकरण धारा 251ए की परिधि में नही आता है नक्शा कदीम से चला आ रहा है विचारण न्यायालय ने प्रकिया अपनाये बिना निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नही है। अपीलांट को मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है धारा 251ए के प्रकरण में तहसीलदार अथवा आईएलआर स्तर के अधिकारी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी द्वारा तैयार की गई है जो विधि के विपरित है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए का है इसके प्रावधानों के अन्तर्गत मौका रिपोर्ट धारा 251ए एलआरएक्ट की जांच पटवारी हल्का से करवाई गई इस अंकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार स्वंय द्वारा तैयार नही की जाकर पटवारी हल्का से तैयार करवाई है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरित है इसके आधार पर पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के विधिक प्रावधानों की पालना में गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.04.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर